न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 86/2009 **दायर तारीख :–** 03-09-2009

1. गोरधन सिंह पुत्र फूल सिंह जाति राजपूत निवासी बागावास अहीरान तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— वादी

बनाम

1. सूरजा पुत्र गोपाल
   - 1/1. जयदयाल
   - 1/2. कानाराम
   - 1/3. छीतरमल
   - 1/4. ओमप्रकाश

   } पुत्रान स्व0 सुरजा

   - 1/5. श्रीमती भूरी देवी पत्नि स्व0 सूरजा

   } समस्त जाति यादव निवासी बागावास अहीरान

   - 1/6. सन्ती देवी पुत्री स्व0 सूरजा
   - 1/7. सुमन पुत्री श्यामलाल पति मृतका सरोज पुत्री स्व0 सूरजा
   - 1/8. श्यामलाल पति मृतका सरोज पुत्री स्व0 सूरजा
2. मूलचंद
3. साधूराम

   } पुत्रान भैरू जाति अहीर निवासी बागावास अहीरान तह0 विराटनगर
4. रणजीत
5. धनयसिंह
6. सुमेरसिंह

   } पुत्रान मोहन सिंह
7. उच्छव कंवर पत्नि स्व0 मोहन सिंह (नाम हजफ)
8. बहादुरसिंह (फौत)
   - 8/1. मच्छर सिंह
   - 8/2. महेन्द्र सिंह

   } पुत्रान स्व बहादुर सिंह
   - 8/3. राजकंवर
   - 8/4. संतोष कंवर
   - 8/5. लाली कंवर

   } पुत्रियान स्व0 बहादुर सिंह
   - 8/6. शेरसिंह
   - 8/7. शक्ति सिंह

   } नाबालिग पुत्रान विक्रम सिंह पुत्र स्व बहादुर सिंह
9. अजन कवंर (नाम हजफ)
10. बनवारी लाल
11. लालचंद

    } पुत्रान भगवान सहाय जाति अहीर निवासी मोठूका तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर राज0
13. सूरजमल पुत्र अर्जुनदास
14. श्रीराम पुत्र कानादास

    } जाति स्वामी निवासी तलियारा तन बागावास अहीरान तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0
15. वीरमती उर्फ पुष्पा देवी पत्नि महेन्द्र सिंह जाति यादव निवासी रूपपुरा तहसील कोटपूतली

— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा

खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री मातादीन शर्मा, अधिवक्ता वादी
श्री महेश मुदगल, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
श्री अवधेश कुमार शर्मा, प्रतिवादी संख्या 8/6 व 8/7
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 व 9 एवं 8/1 लगायत 8/5 एवं 8/8, 10, 11
पैरोकार सरकार

तथा

राजस्व वाद संख्याः–161/2006 **दायर तारीखः–13.12.2006**

उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

1. रणजीत सिंह
2. धनपत सिंह
3. सुमेर सिंह

} पुत्रान मोहन सिंह

4. उच्छव कंवर पत्नि स्व0 मोहन सिंह
5. बहादुर सिंह (फौत)

5/1. मच्छन्दर सिंह
5/2. महेन्द्र सिंह
} पुत्रान बहादुर सिंह

5/3. राज कवंर
5/4. संतोष कंवर
5/5. लाली कंवर
} पुत्रियान बहादुर सिंह

5/6. अजन कंवर पत्नि बहादुर सिंह (नाम हजफ)

5/7. शेर सिंह
5/8. शक्ति सिंह
} नाबालिग पुत्रान विक्रम सिंह बबलायत माता दरिया कवंर पत्नि विक्रम सिंह

5/9. दरियाव कंवर पत्नि विक्रम सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी बागावास अहीरान तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— वादीगण

बनाम

1. सूरजा पुत्र गोपाल
2. मूलचंद
3. साधूराम

} पुत्रान भैरू } समस्त जाति अहीर निवासी बागावास अहीरान तहसील विराटनगर

4. बनवारी लाल
5. लालचंद

} पुत्रान भगवान सहाय जाति अहिर निवासी मोठका तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

—प्रतिवादीगण

7. गोरधन सिंह पुत्र फूलसिंह जाति राजपूत निवासी बागावास अहीरान तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। **— तरतीबी प्रतिवादीगण**

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

दावा दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एंव स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री अशोक कुमार शर्मा, अधिवक्ता वादीगण
श्री महेश चंद मुदगल, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 4 व 5
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 25.02.2020

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बागावास अहीरान के खाता संख्या 170 के साविक खसरा नंबर 1384 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, 1385 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, 1386 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा, 1402 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा, 1406 रकबा 3 बीघा, 1408 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2031–2034 है। आराजी मुतनाजा में हिस्से 1/3 की खातेदारी वादी के पिता मृतक फूलसिंह के तथा 1/3 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम तथा शेष हिस्से 1/3 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 के पूर्वज मोहन सिंह व प्रतिवादी संख्या 8 के नाम है तथा वे तथा उनके वंशज बहिस्सेनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि पर सम्मलित रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 अथवा उनके पूर्वजों मे मध्य आरजी मुतनजा का कभी भी बंटवारा नहीं हुआ हैं। यह है कि भू–प्रबंध विभाग वालों को भू–प्रबंध की कार्यवाही में सह खातेदारी का सह खातेदारों के मध्य किसी भी कदर बंटवारा करने का कतई कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। एवं भू–प्रबंध विभाग को साबिक इन्द्राजात खातेदारी में बिना किसी सक्षम न्यायालय की आज्ञा के किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। साबिक आराजी मुतनाजा के हाल सैटलमेंट में खाता संख्या 78 में खसरा नंबर 2010/2.07, 2015/0.33, 2016/0.03 कुल किता 3 रकबा 2.43 हैक्टेयर, खाता संख्या 96 में खसरा नंबर 2011/0.62, 2012/1.37, 2013/0.05, 2014/0.05, 2013/2217/0.01 कुल किता 5 कुल रकबा 2.10 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 79 में दर्ज खसरा नंबर 2111/0.62, 2112/0.01, 2113/1.03, 2114/1.45, 2115/0.02, 2123/0.10, 2124/0.10, 2110/2215/0.01 कुल किता 8 कुल रकबा 3.34 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 65 में दर्ज खसरा नंबर 2137/0.44, 2138/0.05, 2139/0.08, 2140/0.19, 2155/0.40, 2156/0.61 कुल किता 6 रकबा 1.77 हैक्टेयर वाके ग्राम तलियारा कायम किए गए। वर्तमान खसरा नंबर 2015 वाके ग्राम तलियारा में से 13 एयर 14 वर्गमीटर भूमि में से इंडियन ऑयल कोरर्पोरेशन की लाईन डली हुई है। तथा वादी ने खाता सख्या 78 में अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 तथा खाता संख्या 79 में 39/111 दर हिस्सा 1/3 प्रतिवादी 10 व 11 को विक्रय कर दिया है। यह है कि हाल सैटलमेंट की कार्यवाही में भू–प्रबंध विभाग वालों ने साबिक इन्द्रजात के विपरीत बिना किसी सक्षम न्यायालय की आज्ञा के नये हाल खसरा नंबर 2011, 2012, 2013, 2014, 2013/2217 कुल किता 5 रकबा 2.10 हैक्टेयर वाके ग्राम तलियारा की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी बअनुसार खण्ड संख्या 2 वाद पत्र के विपरीत अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित कर दी जो वादी के खातेदारी हक हकूको के विपरीत प्रभावहीन एवं शून्य है। तथा शेष भूमि की खातेदारी खाता संख्या 78 व 79 के अलावा हिस्से 1/3 भाग की वादी व 1/3 भाग की प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 के नाम व शेष 1/3 भाग की प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम अंकित कर दी जो भी नितान्त गलत, प्रभावहीन तथा शून्य है, क्योंकि संबंधित भूमि में प्रतिादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा साबिक इन्द्राजात के अनुसार 1/6 होना चाहिए था, मगर वर्तमान इन्द्राजात से 1/3 अंकित कर दिया, इससे वादी व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 के हिस्से की खातेदारी भूमि में अंतर होकर कम जो गयी जो नितान्त गलत गैर कानूनी प्रभावहीन तथा शून्य एवं काबिज दुरूस्ती है। यह है कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 को आराजी मुतनाजा के खाता संख्या 96 व 65 के सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी इन्द्राजात बदस्तूर संयुक्त रूप से वाद पत्र की खण्ड संख्या 2 में वर्णित अनुसार दुरूस्ती कराने तथा खाता संख्या 78 के 1/3 हिस्से की प्रतिवादी संख्या 10 व 11 व शेष व खण्ड संख्या 2 वाद पत्र के अनुसार तथा खाता संख्या 79 के हिस्से 72/111 वादी व 39/111 प्रतिवादी संख्या 10 दर हिस्सा 1/3 हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी उपरोक्त यह कह कर टालमटोल करते रहे कि अपना कब्जा काश्त तो अपने-अपने हिस्से अनुसार ही करते आ रहे है। अतः निवेदन है कि ग्राम बागावास अहीरान आराजी मुतनाजा के खाता संख्या 96 व 65 के हिस्से 1/3 भाग का वादी को व 1/3 भाग का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को तथा शेष 1/3 भाग का प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा खाता संख्या 78 का 1/3 भाग का प्रतिवादी संख्या 10 व 11 तथा 1/3 भाग का प्रतिवादी संख्या 1 व 3 व 1/3 भाग का प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 तथा खाता संख्या 79 के हिस्से 72/111 का व 39/111 का प्रतिवादी संख्या 10 व 11, दर हिस्सा 1/3 तथा 1/3 भाग का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व शेष 1/3 भाग का प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। साथ ही प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वे वादी के कब्जा काश्त में किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार की दखल एवं बाधा कारित नहीं करें।

2. वादी ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम तलियारा खाता संख्या 78 संवत् 2057–2060, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम तलियारा खाता संख्या 79 संवत् 2057–2060, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम तलियारा खाता संख्या 96 संवत् 2057–2060, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम तलियारा खाता संख्या 65 संवत् 2057–2060, नकल साबिक जमाबन्दी वाके ग्राम बागावास अहीरान खाता संख्या 170 संवत् 2030–2034, पर्चा खातौनी , नकल मिलान क्षेत्रफल आदि पेश किए गये।

3. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए, जवाब दावा पेश किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

4. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में कथन रहे कि वादी के वादपत्र के खण्ड संख्या 2 मे अंकित अनुसार उक्त वाद सख्या 1 की भूमि साबिक की खातेदारी हिस्सा 1/3 वादी के पिता के नाम, हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम तथा हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के पिता व 7 के पति एवं प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2031–2034 मे तत्समय होना सही है। परन्तु यह गलत है कि वादी व प्रतिवादी तथा उनके पूर्वज वाद पत्र की इस खण्ड में वर्णित अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है एवं यह कहना गलत है कि वादी तथा प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 8 अथवा उनके पूर्वज के मध्य आराजी वाद ग्रस्त का कभी बंटवारा नही हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी के व उनके पूर्वजो के मध्य साबिक आराजी का बंटवारा होने का ठोस एवं विधिक प्रमाण दो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है जिनमें से पहला रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनाक 31.12.74 को बहक प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्सा 1/3 के भूतपूर्व खातेदारान श्री उम्मेद सिह, नंद सिह पिता बच्चन सिंह, भरपाई बेवा ज्ञान सिंह, हनुमान सिह सज्जन सिह नाबालिग पुत्र स्व0 बच्चन सिंह संरक्षक सुप्यार बाई बेवा बच्चन सिंह कौम राजपूत निवासी बागावास अहीरान ने वाद पत्र खण्ड संख्या 1 मे अकित भूमि का विवरण देते हुए उसमे स्वय का हिस्सा 1/3 तथा हिस्सा 1/3 फूलसिंह पिता वादी का तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के पिता व 7 के पति मोहन सिह व प्रतिवादी सख्या 8 बहादुर सिंह पिता उमराव सिंह के नाम दर्ज खातेदारी व कब्जा काश्त के बताकर प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे पंजीबद्व कराया है। तथा दूसरा विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दिनाक 13.06.80 को 15000/– रूपये में बहक भोला पुत्र हरदेव कौम मीणा निवासी बडनगर तहसील कोटपूतली जो वाद पत्र के खण्ड सख्या 5 में अंकित नये खाता संख्या 65 के खसरा नबरान में हिस्सा 1/2 भूमि का खातेदारा काश्तकार दर्ज है के नाम स्वयं वादी गोरधन सिंह ने तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के पिता व 7 के पति मोहन सिह ने वाद पत्र की खण्ड सख्या 1 में अंकित भूमि कुल किता 6 कुल रकबा 38 बीधा 15 बिस्वा रकबा शामलाती हमारी एव हमारे अन्य भाईयो की है, कहकर इन नंबरान मे से हम को सब भाईयों की रजामंदी से बंटवारा होकर खेत खसरा नबर 1406 रकबा 3 बीघा व खसरा नबर 1408 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा की भूमि का खेत तो अलग मिला है बाकी अन्य खसरा नंबरा मे हमारी शामलाती रखी गई है, बताकर तथा विक्रय पत्र दिंनाक 31.12.74 में भी जिस भूमि शामलाती को हम भाईयों ने आपस में रजामंदी से बांट ली है, अकित कराया है, जिसमे साबिक खसरा नंबर 1384, 1385, 1386 किता 3 कुल रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा का हिस्सा 1/2 आने 9 बीघा 6 बिस्वा पर उम्मेद सिंह वगैरह ने काबिज काश्त वादी व मोहन सिंह की तरह बताकर 13000/– रूपये में प्रतिवादी संख्या 1 को कब्जा आराजी स्वयं के प्राप्त हिस्से अनुसार बताकर तथा हिस्सा 1/3 की शेष भूमि 3 बीघा 9 बिस्वा भैरू पुत्र नाथू कौम यादव निवासी बागावास अहीरान को इस विक्रय दिनांक से पूर्व विक्रय किया जाना बताकर कुल भूमि 12 बीघा 15 बिस्वा हिस्सा 1/3 आराजी स्वंय कब्जा काश्त खातेदारी में से कब्जा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता भैरू पुत्र नाथू को 3 बीघा 9 बिस्वा का

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

तथा प्रतिवादी संख्या 1 को कब्जा 9 बीघा 6 बिस्वा का दिया जाना है। दोनों बयनामा उपरोक्त वर्णित उपपंजीयक विराटनगर से वाद भूमि का बंटवारा कर लेंने के वादी तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के पिता व 7 के पति व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पूर्व खातेदारों ने तहरीर व तकमील कराया तदनुसार स्वयं वादी–विकताओ के बजाय विक्रय से राजस्व रिकॉर्ड मे उक्त भूमि केतागण के नाम दर्ज हुई है। उपरोक्त दोनो रजि0 बयनामों में अंकित इबारत से वाद ग्रस्त भूमि का वादी, प्रतिवादी व उनके पूर्वजो के मध्य पूर्व मे बंटवारा होना साबित होता है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 अपने व अपने पूर्वज मोहन सिंह के द्वारा कराये गए बयनामा दिनांक 13.06.80 से एव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बयनामा दिनांक 31.12.74 मे अंकित तथ्यों से व पूर्व मे किये गए कथनों से पांबद है। उक्त कथनो के विपरीत कुछ भी कहने या करने से स्टोप्ड है, कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 अथवा उनके पूर्वजों के मध्य आराजी मुतनाजा का कभी बंटवारा नहीं हुआ है। तथा वादी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 8 उक्त भूमि के अपने–अपने हिस्से की भूमि पर सम्मिलित रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी अपने पूर्व कथन से लिखावट बयनामा दिनांक 13.06.80 के विपरीत इस वाद में कुछ अन्य कथन करने से पाबंद एवं कानूनी रूप से स्टोप्ड है। वादी पर एव प्रतिवादी सख्या 4 लगायत 7 लॉ ऑफ स्टोयल स्टोप्ल लॉ ऑफ ऐक्यूसेंस का सिद्धान्त लागू होता है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत दोनो रजिस्टर्ड बयनामा वाद ग्रस्त भूमि से संबंधित है। उक्त दोनो दस्तावेजो से यह स्पष्ट होता है कि वाद ग्रस्त भूमि का वादी एव प्रतिवादी के मध्य आराजी वाद ग्रस्त का हाल सैटलमेंट से पूर्व ही बंटवारा हो चुका है। यह है कि वाद ग्रस्त भूमि में पक्षकारों के मध्य हाल सैटलमेंट से पूर्व ही संवत् 2034–2037 से जब उक्त भूमि के साबिक खसरा नंबर व रकबा वाद पत्र की खण्ड संख्या 1 में दर्ज अनुसार ही बंटवारा हो चुका था। एवं उक्त बयनामों में अंकित अनुसार भूमि के बंटवारा करने के बाद ही बेचान किया गया था एवं कब्जा का हस्तांतरण कर दिया गया था। एवं साबिक खसरा नंबर से नये बने खसरा नबरान व पुराने रकबे के बदले बने नये रकबा के अनुरूप ही साबिक के बजाय नया राजस्व रिकॉर्ड बनाया गया था। सैटलमेंट वालों ने इस प्रकरण मे कोई बटवारा नही किया है, बल्कि सैटलमेंट से पूर्व ही वादी एवं प्रतिवादी व उनके पूर्वजो के मध्य बंटवारा कर लिया गया था इस प्रकार पूर्व बंटवारा किए को दोनों पक्षों की सहमति से नये में दर्ज रिकॉर्ड किया है।यह है कि भू–प्रबंध विभाग एवं भू–प्रबंध अधिकारियों को दौरान सैटलमेंट कुछ विशेष अधिकार एवं शक्तियों राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की जाती है, जिनकी बदोलत ही वह अपना भू–प्रबंध संबंधित कार्य उस क्षेत्र में पूर्ण करते है। जिस क्षेत्र में भू–प्रबंध होता है। यह है कि वादपत्र की खण्ड संख्या 5 में वर्णित भूमि का दौराने सैटलमेंट जो नये खसरा नंबर बनाये गए, और इनके पूर्व खातेदारान व उनके वारिसों ने साबिक भूमि के अपने–अपने कब्जे काश्त खसरा नंबरान से परस्पर सहमति से अलग–अलग नये नंबरान से खाता खुलवाया है, जिसमें खाता संख्या **78** की भूमि खसरा नंबर 2010, 2015, 2016 कुल किता 3 कुल रकबा 2.43 हैक्टेयर में वादी, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 ने अपना

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

हिस्सा रखा। खाता संख्या 79 की भूमि खसरा नंबर 2111 लगायत 2115, 2123, 2124, 2110/2215 कुल किता 8 के रकबा 3.34 हैक्टेयरा में वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने प्रतिवादी संख्या 4 से 7 ने अपना हिस्सा रखा। खाता संख्या 65 की भूमि खसरा नंबर 2137, 2138, 2139, 2140, 2155, 2156 रकबा 1.77 हैक्टेयर कुल किता 6 में वादी ने अपने हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 के पूर्वज मोहन सिंह ने अपना हिस्सा 1/6 कुल हिस्सा 1/2 आरजी का बेचान भोलाराम पुत्र हरदेव कौम मीणा निवासी बडनगर तहसील कोटपूतली के हित में दिनांक 13.06.80 को जरिए रजिस्ट्री कर दिया होने से साबिक खसरा नंबर 1406 व 1408 का करने से केता का नाम विक्रेताओं के स्थान पर गोरधन सिंह, मोहन सिंह के बदले में दर्ज हाल राजस्व रिकॉर्ड हुआ, शेष भूमि खाता संख्या 65 की प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 तथा हिस्सा 1/6 प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज वादी स्वयं ने करवाई थी, जिसमें तमाम सह खातेदार सहमत रहे है, जिसमें विगत 30 साल से किसी ने कोई क्लेम या आपत्ति किसी तरह की नहीं की है। खाता संख्या 96 में दर्ज भूमि खसरा नंबर 2011 लगायत 2014, 2013/2217 कुल किता 5 कुल रकबा 2.10 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवा दी गई। उक्त प्रकार से हाल बंदोबस्त में जो साबिक से नये में तरमीम रिकॉर्ड कराया है, वह स्वंय वादी एंव अन्य सह खातेदारों ने परस्पर रजामंदी से खसरा परिशोधन खसरा प्रमांणाकन के समय दिनांक 29.11.81 को स्वेच्छा पूर्वक कराया है। उसको वादी ने बंटवारा आराजीयात का स्वीकार करते हुए अपने हिस्से के अनुसार आई भूमि में से खाता संख्या 65 की भूमि का खाता संख्या 78 व 79 की भूमि का बेचान भी नया खाता खुलवाने के बाद वादी ने दीगर लोगों को बेचान कर दी हैं, जिससे स्पष्ट है कि वादी ने पूर्व विभाजन दिनांक 31.12.74 व 13.06.80, जो रजिस्टर्ड बयनामों में अंकित करवाया है, उस विभाजन को स्वीकार किया और गत रकबे के हिस्से के अनुसार उसे हिस्सा 1/3 खाता संख्या 78, 79 व 65 में वादी को मिल चुका था। और उक्त आधार पर वादी का खाता संख्या 96 में कोई हक अथवा हिस्सा नहीं रहा था। प्रतिवादी संख्या 1 को जो हिस्सा उसने बच्चन सिंह के वारिसों के हिस्से में से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.12.74 को विधिवत् रूप से खरीदकर विधिवत् रूप से अपने नाम नामान्तकरण खुलवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाया है। तथा उक्त भूमि के प्राप्त हिस्से कब्जा के अनुसार खाता संख्या 96 की भूमि में खाता संख्या 65 में दर्ज भूमि में ही प्रतिवादी संख्या 1 को मिला है, जो किसी भी रूप में उसके द्वारा पूर्व में किए गए साबिक खसरा नंबर क्रय किए गए के विपरीत न होकर अनुरूप ही है। वादी ने इन सब तथ्यों को छुपाते हुए चालाकी से सम्पूर्ण पूर्व खाते का विभाजन नहीं करवाकर केवल प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में आई भूमि में ही अपना हिस्सा दर्ज कराने का जो घोषणा का यह दावा किया है, वह किसी भी रूप में चलने योग्य नहीं है। यह है कि वर्तमान खसरा नंबर 2015 में से 13 एयर 14 वर्गमीटर भूमि में से इंडियन ऑयल कोरपोरेशन की लाईन बिछी हुई है, उक्त मुआवजे राशि अकेले वादी ने ले ली है अन्य खातेदारों को कुछ नहीं दिया है, जबकि शेष खातेदारों में इसका समान वितरण होना चाहिए था। वादी ने खाता संख्या 78 व 79 में अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 खातेदारी खाता संख्या 78 में

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

तथा खाता संख्या 79 में 39/111 दर हिस्सा 1/3 खातेदारी का विक्रय प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को कर दिया है, जो सही है। तथा प्रतिवादी संख्या 10 व 11 ने दौराने दावा वादी की सहमति से उक्त दोनों खातों में खरीदी की गई वादी की भूमि का विक्रय दीगर लोगों को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया है तथा उक्त भूमि का खाता नये केताओं के नाम अंकित हो गया है। एवं स्वयं वादी ने दौराने दावा अपना शेष बचा खाता संख्या 79 का हिस्सा 72/111 बैंक में रहन कर लोन ले लिया है। यह है कि हाल सैटलमेंट की कार्यवाही में भू-प्रबंध कर्मचारियों अधिकारियों ने साबिक इन्द्राज के विपरीत जो इन्द्राज वादी पत्र की खण्ड संख्या 5 में वर्णित प्रकार की भूमि में से हाल खसरा नंबर 2011, 2012, 2013, 2014, 2013/2217 कुल किता 5 रकबा 2.10 हैक्टेयर ग्राम तलियारा खाता संख्या 96 के रूप में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी अनुसार वाद पत्र की खण्ड संख्या 2 के विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की वह किसी भी प्रकार गलत व गैर कानूनी नहीं है। उक्त परिवर्तन स्वयं वादी ने अपनी सहमति से लिखित दरखावस्त के जरिए प्रतिवादी संख्या 1 के विक्रेता उम्मेद सिंह के साथ दौराने सैटलमेंट खसरा प्रमांकन का उन्हें नोटिस दिनांक 22.11.81 को स्थान बागावास अहीरान के पर्चा खातेदानी के लगने वाले भू-प्रबंध कैम्प में जो कि राजस्व न्यायालय के रूप में आए अधिकारियों की मौजूदगी में कराया था। दिनरांक 29.11.81 को मजमा आम में वादी ने अन्य सह खातेदारों के साथ उपस्थित होकर ग्राम बागावास अहीरान में दो विक्रय पत्रों के द्वारा साबिक भूमि का बाद बंटवारा करना तथा पुराने नंबरों के आधार पर उनके कब्जा आराजी एंव हिस्सा मुताबिक कब्जा उनके नाम नये रिकॉर्ड में परिवर्तन करने को दरखावस्त दी थी। एवं विक्रय पत्रों का निरीक्षण कर मौका कब्जा की संक्षिप्त जांच परख व नपत करने के बाद भू-मापक व भू-निरीक्षक से रिपोर्ट लेकर नये पुराने रिकॉर्ड की तुलना करने के बाद पर्चा खातौनी संवत् 2036 संख्या 264, 265, 266 में दिनांक 29.11.81 प्रविादी संख्या 1 के नाम से पृथक खातेदारी हाल राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त सक्षम अधिकारी के आदेश से अमल दरामद हुआ था। तथा वादी के व अन्य सह खातेदारों की जानकारी में तत्समय ही प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सामूहिक परचा खातौनी उसका नाम व रकबा अलग पुराने नंबरान के आधार पर नये नंबरों को छांटकर तमाम लिखापढ़ी पर्चा खातौनी में कर तस्दीक कर हस्ताक्षर मोहन सहायव भू-प्रबंध अधिकारी एंव सहायक भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा संशोधित पर्चा प्रमांकन कर खसरा परिशोधन कर नया पर्चा खातोनी बनाकर दिलाया गया था, जो साबिक के मुकाबले था। पूर्व कब्जे काश्त एवं साबिक खसरा नंबरान एंव उसके रकबे के आधार व बंटवारे के आधार पर पृथक से खातेदारी स्वंय वादी एवं उम्मेद सिंह वगै0 ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कराई थी। जिस आदेश पर्चा खातौनी पर दिए गए दिनांक 29.11.81 बहक प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसके नाम जारी खसरा परिशोधन पत्र खसरा प्रमाणाकंन दिनांक 29.11.81 को तत्समय अन्दर मियाद 1 माह की अवधि में वादी व अन्य किसी सह खातेदार ने बावजूद सम्पूर्ण परिवर्तन की जानकारी होने के बाद भी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 ने किसी सक्षम राजस्व न्यायालय के समक्ष अपील पेश नहीं की। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

हित में उक्त पर्चा प्रमाणकंन दिनांक 29.11.81 का आदेश अंतिम हो गया है। प्रतिवादी संख्या 1 के हक में खाता संख्या 96 की भूमि की खातेदारी दर्ज हुए काफी समय हो गया है, जिससे वादी अथवा अन्य प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 अब किसी भी प्रकार का दवा पेश करने का अधिकार नहीं रह गया हैं। खाता संख्या 96 की खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 को आउस्ट रखते हुए काबिज काश्त रहा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा खाता संख्या 96 में दर्ज भूमि पर कब्जा मुखालपाना एडवर्स पजेशन के आधार पर उन्हे उनकी सम्पूर्ण जानकारी में अर्सा करीब 12 साल से भी अधिक पर उन्हें बेदखल व बेकब्जा करे हुए स्वंय का कब्जा निरंतर दिनांक 31.12.74 वरवक्त खरीद व इन्द्राजात राजस्व से उस खाता संख्या 96 में दर्ज भूमि का खातेदार काश्तकार बन गया है। यह है कि खाता संख्या 96 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्तकार है, जिसका वर्तमान खाता संख्या बदलकर संवत् 2065–2068 की जमाबंदी में नया खाता संख्या 127 रकबा 2.10 हैक्टेयर बना है। जिसमें दर्ज खसरा नंबरान 2013/2217/0.01 में प्रतिवादी संख्या 1 की बोरिंग बनी हुई है। यह है कि खाता संख्या 78 का हिस्सा 1/3 प्रतिादी संख्या 10 व 11 के नाम दर्ज जमाबंदी संवत् 2057–2060 ग्राम तलियारा जरिए नामा0 संख्या 97 दिनांक 02.07.02 के वादी के हिस्सा 1/3 के बजाय प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के नाम दर्ज हो गया था, जिसका अमल जमाबंदी संवत् 2061–64 में प्रतिवादी संख्या 10 के हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 11 के नाम हो चुकी है। तथा प्रतिवादी संख्या 11 ने अपना हिस्सा 1/6 जयदयाल पुत्र सूरजमल यादव को विकग्र कर दिया है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के नाम कोई अमल दरामद हिस्सा आराजी होने योग्य नहीं रह गया है। खाता संख्या 78 का नया खाता परिवर्तन होकर हाल जमाबंदी संवत् 2065 लगायत 68 ग्राम तलियारा में खाता संख्या 98 हो गया है, जिमें प्रतिवादी संख्या 10 ने अपना हिस्सा 1/6 का बेचान जरिए नामा0 संख्या 211 दिनांक 21.12.09 के द्वारा हिस्सा 1/6, संतोष देवी पत्नि मामराज यादव, कुष्णा देवी पत्नि उमाशंकर यादव हिस्सा 1/12 कौम अहीर के नाम तथा प्रतिवादी संख्या 10 का शेष 1/12 हिस्सा के बजाय संतोष देवी पत्नि मामराज यादव हिस्सा 1/48 एवं गीता देवी पत्नि कानाराम यादव हिस्सा 1/16 के नाम अंकन हो गया है। प्रतिवादी संख्या 11 ने अपने नाम की खाता संख्या 78 की भूमि हिस्सा दर 1/3 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के बाद विकय जयदयाल यादव को कर दी है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्हया 10 वह 11 की रिलीफ इस दावा में प्रदान करने योग्य नहीं है। खाता संख्या 79 का नवीन खाता जमाबंदी संवत् 2065 से 68 में 97 हो गया है। जो रकबा 3.34 हैक्टेयर का था, तो प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के जरिए नामा0 संख्या 97 दिनांक 02.07.2002 के वादी के हिस्से 1/3 के बजाय प्रतिवादी संख्या 10 के हिस्सा 39/111 दर हिस्सा 1/3 , प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के नाम अमल दरामद हो गया था, जो दर्ज जमाबंदी संवत् 2057–2060 में अंकन हुआ है। शेष हिस्सा 72/111 वादी के नाम दर हिस्सा 1/3 यथावत् रहा जो संवत् 2061–2064 तक होने पर वादी का नाम दर्ज होने योग्य नहीं रह गया। प्रतिवादी संख्या 11 के दर्ज जमाबंदी संवत्

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

2061–2064 के 39/111 का हिस्सा जयदयाल यादव को विक्रय कर दिया तथा जरिए नमा0 211 दिनांक 21.12.09 के प्रतिवादी संख्या 10 का हिस्सा 39/111 में से श्रीमती संतोष देवी पत्नि मामराज हिस्सा 39/2664, श्रीमती गीता देवी पत्नि कानाराम यादव हिस्सा 117/2664 अंकन स्वीकार किया गया। नामा0 संख्या 212 दिनांक 27.03.10 के वादी का हिस्सा 72/111 दर हिस्सा 1/3 राहिन जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड जयपुर शाखा शाहपुरा मूर्तहीन स्वीकार हुआ बादी बदस्तुर रहा है। इस प्रकार स्वयं वादी के नाम तथा प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के नाम का अमल दरामद पूर्व में ही होकर राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन हो चुका है। इस कारण वादी की स्वयं व प्रतिवादी संख्या 10 व 11 की रिलीफ बेकार जो गयी है। इस वाद में प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के नये क्रेताओं को तथा वादी के स्थान पर बैंक को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गा है। इस कारण यह वाद कतई चलने योग्य नहीं है। वादी ने खाता संख्या 78 की कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 के हकूक के खिलाफ जरिए इकरारनामा दीगर लोगों को मकान बनाने के लिए विक्रय कर दी है, जो बिना किस्म परिवर्तन कराये उक्त कृषि भूमि का आवासीय में उपयोग–उपभोग मकान बनाकर ले रहे है। तथा वाद भूमि खाता संख्या 1/3 को विक्रय कर देने के वादी के स्वयं के मकान कुआ, बोरिग खाता संख्या 78 की भूमि में बने हुए है तथा इस भूमि 2.43 हैक्टेयर में वादी की आराजी हिस्सा 1/3 के हिस्सा से 0.81 हैक्टेयर बनती है। किन्तु उसने प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को मुताबिक इकरारनामा दिनांक 13.10.99 की शर्तों की पालना में कब्जा खाता संख्या 79 की 39/111 हिस्सा का भी खाता संख्या 78 में 1.20 हैक्टेयर पर प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को दिया था तथा खाता संख्या 79 की 3.34 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 व 8 के सम्पूर्ण ही कब्जा काश्त में चली आ रही है। जिसमें उनके मकान, बोरिंग, बिजली आदि बने हुए है, जबकि प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 के पूर्वज अपना हिस्सा आराजी का विक्रय भोला पुत्र हरदेव मीणा को जरिए विक्रय पित्र दिनांक 13.06.80 के वादी के साथ कर चुके है, जिसका अमल दरामद हाल खाता संख्या 65 में हो चुका है, नये क्रेता के नाम जिसे भी इस वाद में आवश्यक पक्षकार मुकदमा होने के बाद भी पक्षकार नहीं बनाया है। खाता संख्या 78 के नये क्रेताओं मकान तामीर कर्ताओं (1) सुल्तान मोरण पुत्र भागीरथ यादव (2) महेश पुत्र सुल्तान मोरण यादव, (3) केशव पुत्र जयनारायण यादव को जिनके पास क्रमशः 400–400 वर्गमीटर भूमि रिहायशी मकानात की कब्जे में चली आ रही है। पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है, जो अतिआवश्यक फरीक मुकदमा है। उक्त प्लाट वादी ने छल–कपट पूर्वक फर्जीवाडा करके शेष सह खातेदारान 2 लगायत 7 को उक्त भूमि से खाता संख्या 78 से महरूम करके विक्रय कर दिया है। जो वादी के अधिकारी क्षेत्र से बाहर जाकर किया गया कार्य है। जिसकी वादी उक्त क्रेताओं के नाम रजिस्ट्री करवाने को अधिकृत ही नहीं है। क्योंकि वह प्रतिवादी संख्या 10 लगायत 11 को पहले ही अपना सम्पूर्ण हिससा 1/3 आराजी का विक्रय कर चुका है। इसी तरह खाता संख्या 79 में भी खाता संख्या 78 की तरफ प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3 का नाम नुमाकशी रूप में चला आ रही है। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 का कोई कब्जा खाता संख्या 78 की भूमि में 65 की भूमि में नहीं है। तथा खाता

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

संख्या 79 की भूमि प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 व 8 के हिस्सा आराजी 1/3 से अधिक 3.21 के बजाय 3.34 बावजूद विक्रय के कब्जा आराजी चला आ रहा है। अन्य किसी सह खातेदार की खसरा नंबर 78 व 79 में कब्जा काश्त नहीं है। क्योंकि खाता संख्या 78 की सम्पूर्ण भूमि वादी के तनहा कब्जा काश्त में रही है तथा खाता संख्या 79 की भूमि सम्पूर्ण 3.34 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 व 8 के कब्जा काश्त में मुताबिक पूर्व बंटवारा के रही है। उक्त आधार पर इस वादी की सम्पूर्ण रिलीफ ही डिफेक्टीव हो गयी है, इस कारण वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 को पाबंद करोन को इसलिए अधिकृत नहीं है कि न तो प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि पर वादी का कोई कब्जा काश्त है। और ना ही खातेदारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 की आरे से प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी खारिज किय जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में काउन्टर क्लेम इस प्रकार स्वीकार किया जावे कि हाल आरजी खसरा नंबर 2011/0.62 हैक्टेयर 2012/1.37, 2013/0.05, 2014/0.05, 2013/2217/0.01 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.10 हैक्टेयर वाके ग्राम तलियारा तन बागावास अहीरान का प्रतिवादी संख्या 1 को कब्जा मुखालफाना(एडवर्स पजेशन) के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 के विरूद्ध उक्त भूमि खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं वादी को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से सदा के लिए पाबंद फरमावें कि प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी तरह कि विध्न बाधा या मजामहत पैदा नहीं करें।

5. प्रतिवादी संख्या 8/1 लगायत 8/8 की तरफ नियुक्त कोर्टवल्ली द्वारा जवाब दावा पेश किया गया तथा कथन रहे कि वाद पत्र की खण्ड संख्या 5 की खातेदारी एवं वाद पत्र की खण्ड संख्या 8 के अनुसार सह खातेदारी में अंकित न कराने तथा वादी के साथ ही प्रतिवादी संख्या 8/1 लगायत 8/8 को आराजी मुतनाजा के उसके भाग से जबरन बेदखल कर खुद कब्जा काश्त करने अथवा अन्य को अन्तरित कर उनका कब्जा काश्त कराने तथा राजस्व रिकॉर्ड में मनचाहे तरीके से परिवर्तन कराने में यदि प्रतिवादी संख्या 1 सफल हो गए तो वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 8/1 लगायत 8/8 को भी अकथनीय हानि होगी। अतः प्रतिवादी संख्या 8/1 लगायत 8/8 को सम्पूर्ण रकबे में से अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। एवं वादी एवं अन्य प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि प्रतिवादी संख्या 8/1 लगायत 8/8 की कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार की मजामहत पैदा नहीं करें।

6. वादी को जवाबुल जवाब में कथन रहे कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आराजी मुतनाजा का कभी बंटवारा नहीं हुआ है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाब दावा में बंटवारा के संबंध में कोई तारीख माह या सन् अंकित नहीं कि है। तथा कथित विक्रय पत्र दिनांक 03.12.74 व 13.06.80 के संबंध में प्रतिवादी संख्या 11 ने अस्पष्ट व अपूर्ण अंकिन किया है। साथ ही वादोत्तर के माप इनकी नकले पेश नहीं की है। ना ही वादी की इस संबंध में कोई नकल उपलब्ध कराई है। साथ ही कथित विक्रय पत्र किस खसरा के संबंध में किए है की बाबत भी कोई खुलासा

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

नहीं किया गया है। ना ही वादी को तथा कथित विक्रय पत्र के संबंध में कोई जानकारी रही साथ ही तथा कथित विक्रय पत्र विशिष्ट भू–भाग व खसरा के होने से प्रारंभ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है। तथा इसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार पैदा नहीं होता है। किसी भी सह खातेदार को सह खातेदारी भूमि में अपने हिस्सों के विक्रय का अधिकार होता है विशिष्ट खसरा या विशिष्ट भू–भाग का विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं होता है। इस कारण तथा कथित विक्रय पत्र दिनांक 31.12.74 व 13.06.80 नल एण्ड वाइड है। वादी उसके पूर्वज को तथा कथित विक्रय पत्र के संबंध में कतई जानकारी नहीं रही है। इस कारण तथा कथित रूप से बंटवारा होने या उससे पाबंद होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। साथ ही तथा कथित विक्रय पत्र प्रारंभ से ही नल एण्ड वोईड है। तथा समस्त तथ्य महज वादोत्तर का आधार बनाने की गर्ज से नितांत गलत व दुर्भावना पूर्ण अंकित किये है पक्षकारान के मध्य कभी भी विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। यह है कि तथाकथित बंटवारा की कोई साल संवत् तारीख माह तिथि आदि अंकित नहीं किए है जिससे बंटवारा नहीं होने की बखूबी स्वतः पुष्टि होती है। सैटलमेंट वालों को कथित रूप से सहमति के आधार पर भी सह खातेदारी भूमि का विभाजन, बंटवारा करने का कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं है। पक्षकारान ने कभी भी बंटवारा के लिए सहमति नहीं दी है। प्रतिवादी संख्या 1 ने समस्त तथ्य महज वादोत्तर का आधार बनाने की गर्ज से झूठे व मनगढ़न्त पेश किए है। वादी ने खण्ड संख्या 1 में साबिक खसरा नंबर अंकित किए है तथा खण्ड संख्या 5 में हाल खसरा नंबर अंकित कर दिए हैं तथा पृथक–पृथक रकबा भी अंकित किया है। अन्य खुलासा विवरण अंकित किया जाना अपेक्षित नहीं था। साथ ही उक्त तथ्य साक्ष्य विषयक व राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित होने से वाद पत्र में अंकित किया जाना आवश्यक नहीं था। हाल सैटलमेंट में बिना अधिकार मनमाने तरीके से बिना सहमति व बिना विधिक बंटवरा कराये इन्द्राज कराये गए है, जो प्रारंभ से ही शून्य व निष्प्रभावी है। तथा कथित विक्रय पत्र सभी सह खातेदारान की बिना सहमति व बिना जानकारी के कराये गए है, जो प्रांरभ से ही नल एण्ड वोईड है। सेटलमेंट विभाग को सह खातेदारी भूमि का विभाजन पूर्ववत इन्द्राजात की पुनरावृत्ति का ही अधिकार है खसरा परिशोधन व खसरा प्रमांकन बिना सहमति व बिना अधिकार बिना जानकारी के वादी के खातेदारी हक हकूको के विपरीत होने से प्रांरभ से ही शून्य व निष्प्रभावही है तथा कथित विक्रय पत्र दिनांक 31.12.74 नल एण्ड वोईड है। तथा इसके आधार पर क्रेता प्रतिवादी संख्या 1 को कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है, वादी ने अपने विधिक अधिकारों के तहत दावा किया है, जो पूर्ण रूपेण कानूनन चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी ने समस्त तथ्य वादोत्तर का आधार बनाने की गर्ज से झूठे व मनगढ़न्त पूर्ण अंकित किए है। सैटलमेंट विभाग द्वारा साबिक इन्द्राजात के विपरीत हाल रिकॉर्ड मनमाना बिना अधिकार गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित किया है। जो प्रांरभ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा करवाई गई खसरा परिशोधन की कार्यवाही का वादी को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं रही। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि पर अकेले का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है इस कारण वादी व

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 को आउस्ट रखने या कब्जा मुखालफाना या एडवर्स पजेशन होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अन्यथा में सह खातेदारी भूमि में एडवर्स पजेशन का सिद्वान्त कानूनन लागू नहीं होता है। तथा कथित विक्रय पत्र बिना अधिकार व प्रांरभ से ही नल एण्ड वोईड होने से वादी के विरूद्व प्रिसिंपल ऑफ एस्टोपल लागू नहीं होता है। इस कारण वादी का इससे पांबद होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, बल्कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 के विरूद्व उक्त सिद्धान्त लागू नहीं होता है। प्रतिवादी संख्या 1 का खसरा नंबर 2013/2217/0.01 में अकेले का बोरिंग, कुआं, होज, ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन व जल व जोल नहीं बने हुए है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 के साथ मिलकर प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध कोई संगठन नहीं बना रखा है, बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवारजन ने वादी के विरूद्ध नाजायज संगठन बना रखा है। न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद उनवानी परमजीत बनाम सुरजा वगैरह विचाराधीन होना स्वीकार है। किन्तु उक्त मुकदमें की पैरवी उसके वादी ही करते है तथा इस मुकदमों की पैरवी वादी करता है। प्रतिवादी संख्या ने समस्त तथ्य महज बनावटी वादोत्तर का आधार बनाने की गर्ज से अंकित किए है। यह है कि वाद के विचाराधीन रहते यदि प्रतिवादी ने भूमि विक्रय कर दी है तो 52 राज. टी. एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है। तथा निरस्त किए जाने योग्य है। केतागण को वाद पत्र में पक्षकार बनाया जाना कतई आवश्यक नहीं है। क्योंकि केता, विकता के फुटस्टेप पर ही आता हे। तथा वाद के परिणाम से पूर्णतया प्रभावित व बाधा होते है। वादी ने जरिये इकरारनामा कोई भूमि विक्रय नहीं की है। वादी ने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है। तथा विशेष कथन रहे कि प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम संबंधित कानूनन पूर्ति नहीं करता है। इस कारण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने योग्य है। यह है कि कानूनन रूप से सह खातेदारी की भूमि में एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने योग्य है।

7. प्रकरण में तनकीयात विवेचित की गई जो बिन्दुवार निम्नानुसार है–

(1). आया वादी आराजी मुतनाजा वर्णित खण्ड संख्या 5 वाद पत्र के खाता संख्या 96 व 65 के हिस्से 1/3 भाग का वादी, 1/3 भाग का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 तथा शेष हिस्से भाग का प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 को तथा खाता संख्या 78 का 1/3 भाग का प्रतिवादी संख्या 10 व 11 तथा 1/3 भाग का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व 1/3 भाग का प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 के नाम तथा खाता संख्या 79 के हिस्से 72/111 का वादी व 39/111 का प्रतिवादी संख्या 10, 11 दर हिस्सा 1/3 तथा 1/3 भाग का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व शेष 1/3 भाग का प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 के नाम दुरूस्त करने तथा खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने व स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को पांबद कराने का अधिकारी है। **—जिम्मेवादी**

(2). आया आराजी मुतनाजा वर्णित खण्ड संख्या 1 वादपत्र के हिस्से 1/3 भाग की खातेदारी वादी के पिता मृतक फूलसिंह के तथा 1/3 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम तथा शेष हिस्से 1/3 भाग की खातेदारी प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

संख्या 4 लगायत 8 के पूर्वज मोहनसिंह के नाम रही है तथा सम्मिलित रूप से काश्त करते रहे एवं कभी बंटवारा नहीं हुआ है व भू–प्रबंध विभाग वालों को यह खातेदार का यह खातेदारों के मध्य किसी भी कदर बंटवारा कराने का विधिक अधिकार नहीं है। —जिम्मेवादी

(3). आया वादोत्तर की खण्ड संख्या 2 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने विवादित भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है, जिससे बंटवारा की पुष्टि होती है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 उससे एस्टोप्ड है। — जिम्मेप्रतिवादी संख्या–1

(4). आया हाल बंदोबस्त में वादी एवं अन्य सह खातेदारों ने परस्पर रजामंदी से खसरा परिशोधन खसरा प्रभाकन दिनांक 29.11.2008 को स्वेच्छपूर्वक कराया है उसका वाद पर असर — जिम्मेप्रतिवादी संख्या–1

(5). आया दावा आवश्यक पक्षकार के अभाव में तथा कानूनी प्रावधानों के पूर्ति के अभाव में चलने योग्य नहीं है। — जिम्मेप्रतिवादी संख्या–1

(6). आया प्रतिवादी संख्या 1 काउन्टर क्लेम व एडवर्स पजेशन के आधार पर हाल आराज़ी खसरा नंबर 2011/0.62, 2012/0.37, 2013/0.05, 2014/0.05, 2013/2217/0.01 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 2.10 हैक्टेयर वाके ग्राम तलियारा तन बागावास अहीरान का खातेदार काश्ताकर घोषित किये जाने व वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी है। — जिम्मेप्रतिवादी संख्या–1

(7). दादरसी

8. उक्त वाद पत्र में अंकित खाता संख्या 96 व 65 के खसरा नंबरान के संबंध में दावा संख्या 161/2006 उनवान दावा रणजीत बनाम सुरजा दावा बाबत दुरुस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा विचाराधीन है। वाद संख्या 161/2006 में वादीगण द्वारा खाता संख्या 96 व 65 के खसरा नंबरान में हिस्सा 1/3 की खातेदार काश्तकार होने के संबंध में पेश किया है। उक्त वाद को इस वाद पत्र की साथ कन्सोलीडेट किया गया। जिसका निर्णय भी इस वाद के निर्णय के साथ ही कन्सोलीडेट रूप से किया जाना न्यायोचित है।
9. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
10. तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने के लिए वादी की तरफ से गवाह पी.डब्लू. 1 गोवर्धन सिंह पुत्र फूल सिंह, गवाह पी.डब्लू. 2 अर्जुन सिंह पुत्र भागीरथ, गवाह पी. डब्लू. 3 बालू सिंह पुत्र फौजू सिंह पेश हुए । वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी खाता संख्या 78 संवत् 2057–2060 **प्रदर्श–1**, नकल जमाबंदी खाता संख्या 79 संवत् 2057–2060 **प्रदर्श–2**, नकल जमाबंदी खाता संख्या 96 संवत् 2057–2060 **प्रदर्श–3**, नकल जमाबंदी खाता संख्या 65 संवत् 2057–2060 **प्रदर्श–4,** नकल साबिक जमाबंदी ग्राम बागावास अहीरान खाता संख्या 170 संवत् 2030–34 **प्रदर्श–5** एवं पर्चा खतौनी **प्रदर्श–6,** नकल मिलान क्षेत्रफल **प्रदर्श–7,** नकल मिलान क्षेत्रफल **प्रदर्श–8, नकल** जमाबंदी ग्राम तलियारा खाता संख्या 97 संवत् 2065–2068 **प्रदर्श–9,** नकल जमाबंदी ग्राम तलियारा खाता संख्या 98 संवत् 2065–2068 **प्रदर्श–10,** नकल जमाबंदी ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

तलियारा खाता संख्या 84 संवत् 2065–2068 **प्रदर्श–11** आदि पेश किए है। तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर था। यह है कि खाता संख्या 65 की भूमि खसरा नंबर 2137, 2138, 2139, 2140, 2155, 2156 रकबा 1.77 हैक्टेयर कुल किता 6 में वादी ने अपने हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 के पूर्वज मोहन सिंह ने अपना हिस्सा 1/6 कुल हिस्सा 1/2 आराजी का बेचान भोलाराम पुत्र हरदेव कौम मीणा निवासी बडनगर तहसील कोटपूतली के हित में दिनांक 13.06.80 को जरिए रजिस्ट्री कर दिया होने से साबिक खसरा नंबर 1406 व 1408 का करने से क्रेता का नाम विक्रेताओं के स्थान पर गोरधन सिंह, मोहन सिंह के बदले में दर्ज हाल राजस्व रिकॉर्ड हुआ, शेष भूमि खाता संख्या 65 की प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 तथा हिस्सा 1/6 प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज वादी स्वयं ने करवाई थी, जिसमें तमाम सह खातेदार सहमत रहे है, जिसमें विगत 30 साल से किसी ने कोई क्लेम या आपत्ति किसी तरह की नहीं की है। खाता संख्या 96 में दर्ज भूमि खसरा नंबर 2011 लगायत 2014, 2013/2217 कुल किता 5 कुल रकबा 2.10 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवा दी गई। उक्त प्रकार से हाल बंदोबस्त में जो साबिक से नये में तरमीम रिकॉर्ड कराया है, वह स्वंय वादी एंव अन्य सह खातेदारों ने परस्पर रजामंदी से खसरा परिशोधन खसरा प्रमांणाकन के समय दिनांक 29.11.81 को स्वेच्छा पूर्वक कराया है। उसको वादी ने बंटवारा आराजीयात का स्वीकार करते हुए अपने हिस्से के अनुसार आई भूमि में से खाता संख्या 65 की भूमि का खाता संख्या 78 व 79 की भूमि का बेचान भी नया खाता खुलवाने के बाद वादी ने दीगर लोगों को बेचान कर दी हैं, जिससे स्पष्ट है कि वादी ने पूर्व विभाजन दिनांक 31.12.74 व 13.06.80, जो रजिस्टर्ड बयनामों में अंकित करवाया है, उस विभाजन को स्वीकार किया और गत रकबे के हिस्से के अनुसार उसे हिस्सा 1/3 खाता संख्या 78, 79 व 65 में वादी को मिल चुका था। और उक्त आधार पर वादी का खाता संख्या 96 में कोई हक अथवा हिस्सा नहीं रहा था। प्रतिवादी संख्या 1 को जो हिस्सा उसने बच्चन सिंह के वारिसों के हिस्से में से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.12.74 को विधिवत् रूप से खरीदकर विधिवत् रूप से अपने नाम नामान्तकरण खुलवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाया है। तथा उक्त भूमि के प्राप्त हिस्से कब्जा के अनुसार खाता संख्या 96 की भूमि में खाता संख्या 65 में दर्ज भूमि में ही प्रतिवादी संख्या 1 को मिला है, जो किसी भी रूप में उसके द्वारा पूर्व में किए गए साबिक खसरा नंबर क्रय किए गए के विपरीत न होकर अनुरूप ही है। तथा वादी ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/3 खातेदारी खाता संख्या 78 में तथा खाता संख्या 79 में 39/111 दर हिस्सा 1/3 खातेदारी का विक्रय प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को कर दिया है, जो सही है। तथा प्रतिवादी संख्या 10 व 11 ने दौराने दावा वादी की सहमति से उक्त दोनों खातों में खरीदी की गई वादी की भूमि का विक्रय दीगर लोगों को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया है तथा उक्त भूमि का खाता नये क्रेताओं के नाम अंकित हो गया है। एवं स्वयं वादी ने दौराने दावा अपना शेष बचा खाता संख्या 79 का हिस्सा 72/111 बैंक में रहन कर लोन ले लिया है। यह है कि हाल सैटलमेंट की कार्यवाही में भू–प्रबंध कर्मचारियों अधिकारियों ने साबिक इन्द्राज के विपरीत जो

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

इन्द्राज वादी पत्र की खण्ड संख्या 5 में वर्णित प्रकार की भूमि में से हाल खसरा नंबर 2011, 2012, 2013, 2014, 2013/2217 कुल किता 5 रकबा 2.10 हैक्टेयर ग्राम तलियारा खाता संख्या 96 के रूप में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी अनुसार वाद पत्र की खण्ड संख्या 2 के विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की वह किसी भी प्रकार गलत व गैर कानूनी नहीं है। उक्त परिवर्तन स्वयं वादी ने अपनी सहमति से लिखित दरखावस्त के जरिए प्रतिवादी संख्या 1 के विक्रेता उम्मेद सिंह के साथ दौराने सैटलमेंट खसरा प्रमांकन का उन्हें नोटिस दिनांक 22.11.81 को स्थान बागावास अहीरान के पर्चा खातेदानी के लगने वाले भू–प्रबंध कैम्प में जो कि राजस्व न्यायालय के रूप में आए अधिकारियों की मौजूदगी में कराया था। दिनांक 29.11.81 को मजमा आम में वादी ने अन्य सह खातेदारों के साथ उपस्थित होकर ग्राम बागावास अहीरान में दो विक्रय पत्रों के द्वारा साबिक भूमि का बाद बंटवारा करना तथा पुराने नंबरों के आधार पर उनके कब्जा आराजी एंव हिस्सा मुताबिक कब्जा उनके नाम नये रिकॉर्ड में परिवर्तन करने को दरखावस्त दी थी। एवं विक्रय पत्रों का निरीक्षण कर मौका कब्जा की संक्षिप्त जांच परख व नपत करने के बाद भू–मापक व भू–निरीक्षक से रिपोर्ट लेकर नये पुराने रिकॉर्ड की तुलना करने के बाद पर्चा खातौनी संवत् 2036 संख्या 264, 265, 266 में दिनांक 29.11.81 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से पृथक खातेदारी हाल राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त सक्षम अधिकारी के आदेश से अमल दरामद हुआ था। तथा वादी के व अन्य सह खातेदारों की जानकारी में तत्समय ही प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सामूहिक परचा खातौनी उसका नाम व रकबा अलग पुराने नंबरान के आधार पर नये नंबरों को छांटकर तमाम लिखापढ़ी पर्चा खातौनी में कर तस्दीक कर भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा संशोधित पर्चा प्रमांकन कर खसरा परिशोधन कर नया पर्चा खातोनी बनाकर दिलाया गया था, जो साबिक के मुकाबले था। पूर्व कब्जे काश्त एवं साबिक खसरा नंबरान एंव उसके रकबे के आधार व बंटवारे के आधार पर पृथक से खातेदारी स्वंय वादी एवं उम्मेद सिंह वगै0 ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कराई थी। जिस आदेश पर्चा खातौनी पर दिए गए दिनांक 29.11.81 बहक प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसके नाम जारी खसरा परिशोधन पत्र खसरा प्रमाणाकंन दिनांक 29.11.81 को तत्समय अन्दर मियाद 1 माह की अवधि में वादी व अन्य किसी सह खातेदार ने बावजूद सम्पूर्ण परिवर्तन की जानकारी होने के बाद भी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 ने किसी सक्षम राजस्व न्यायालय के समक्ष अपील पेश नहीं की। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के हित में उक्त पर्चा प्रमाणकंन दिनांक 29.11.81 का आदेश अंतिम हो गया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी तनकी संख्या 1 को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने के कारण तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णीत की जाती है। तनकी संख्या 2 के साबित करने का भार वादी पर था। वादी के वादपत्र में विवादित भूमि के साबिक खसरा नंबरान की खातेदारी हिस्सा 1/3 वादी के पिता के नाम, हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम तथा हिस्सा 1/3 प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के पिता व 7 के पति एवं प्रतिवादी संख्या 8 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2031–2034 थे। प्रतिवादी ने जवाब दावा में कथनानुसार एवं दस्तावेजी साक्ष्य से

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

साबित होता है कि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 अथवा उनके पूर्वज के मध्य आराजी वाद ग्रस्त का कभी बंटवारा हुआ है। पत्रावली में पेश सत्यप्रतिलिपी बयनामा नामा0 दिनांक 31.12.74 **प्रदर्श–ए–1**, सत्यप्रतिलिपी बयनामा नामा0 दिनांक 13.06.80 **प्रदर्श–डी–1** में वादी एवं प्रतिवादी के व उनके पूर्वजो के मध्य साबिक आराजी का बंटवारा होने का ठोस एवं विधिक प्रमाण दो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है जिनमें से पहला रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.12.74 को बहक प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्सा 1/3 के भूतपूर्व खातेदारान श्री उम्मेद सिह, नंद सिह पिता बच्चन सिंह, भरपाई बेवा ज्ञान सिंह, हनुमान सिह सज्जन सिह नाबालिग पुत्र स्व0 बच्चन सिंह संरक्षक सुप्यार बाई बेवा बच्चन सिंह कौम राजपूत निवासी बागावास अहीरान ने वाद पत्र खण्ड संख्या 1 मे अंकित भूमि का विवरण देते हुए उसमे स्वयं का हिस्सा 1/3 तथा हिस्सा 1/3 फूलसिंह पिता वादी का तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के पिता व 7 के पति मोहन सिंह व प्रतिवादी संख्या 8 बहादुर सिंह पिता उमराव सिंह के नाम दर्ज खातेदारी व कब्जा काश्त के बताकर प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे पंजीबद्व कराया है। तथा दूसरा विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 13.06.80 को 15000/– रूपये में बहक भोला पुत्र हरदेव कौम मीणा निवासी बडनगर तहसील कोटपूतली जो वाद पत्र के खण्ड सख्या 5 में अंकित नये खाता संख्या 65 के खसरा नंबरान में हिस्सा 1/2 भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज है के नाम वादी गोरधन सिंह ने तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के पिता व 7 के पति मोहन सिह ने विवादित भूमि के साबिक खसरा नंबरान में कुल किता 6 कुल रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा रकबा शामलाती हमारी एव हमारे अन्य भाईयो की है, कहकर इन नंबरान में से सब भाईयों की रजामंदी से बंटवारा होकर खेत खसरा नबर 1406 रकबा 3 बीघा व खसरा नबर 1408 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा की भूमि का खेत तो अलग वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के पिता व प्रतिवादी संख्या 7 के पति के नाम आई एवं बाकी अन्य खसरा नंबर शामलाती रखी गई थी। विक्रय पत्र दिनांक 31.12.74 में भी जिस भूमि शामलाती को भाईयों ने आपस में रजामंदी से बांट लेना बताया है, जिसमे साबिक खसरा नंबर 1384, 1385, 1386 किता 3 कुल रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा का हिस्सा 1/2 आने 9 बीघा 6 बिस्वा पर उम्मेद सिंह वगैरह ने काबिज काश्त वादी व मोहन सिंह की तरह बताकर 13000/– रूपये में प्रतिवादी संख्या 1 को कब्जा आराजी स्वयं के प्राप्त हिस्से अनुसार बताकर तथा हिस्सा 1/3 की शेष भूमि 3 बीघा 9 बिस्वा भैरू पुत्र नाथू कौम यादव निवासी बागावास अहीरान को इस विक्रय दिनांक से पूर्व विक्रय किया जाना बताकर कुल भूमि 12 बीघा 15 बिस्वा हिस्सा 1/3 आराजी स्वंय कब्जा काश्त खातेदारी में से कब्जा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता भैरू पुत्र नाथू को 3 बीघा 9 बिस्वा का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को कब्जा 9 बीघा 6 बिस्वा का दिया गया था उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह साबित होता है कि पूर्व में साबिक खसरा नंबरान पर 1/3 भाग की खातेदारी वादी के पिता के नाम तथा 1/3 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम तथा शेष हिस्से 1/3 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 के पूर्वज मोहन सिंह के नाम रही है। उपर्युक्त दोनों

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

बयनामों के विवेचन के आधार पर यह साबित होता है कि सैटलमेंट से पूर्व साबिक खसरा नंबरान का बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वजों के मध्य बंटवारा हो चुका है। अतः तनकी संख्या 2 को वादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने के कारण तनकी संख्या 2 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

11. साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह प्रतिवादी डी.डब्लू. 1 जयदयाल पुत्र सुरजाराम के बयान हुए, जिसने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सत्यप्रतिलिपी बयनामा नामा0दिनांक 31.12.74 **प्रदर्श–ए–1**, सत्यप्रतिलिपी बयनामा नामा0दिनांक 13.06.80 **प्रदर्श–डी–1,** नकल नामा0 संख्या 246 मृतक ज्ञान सिंह फौतगी बहक पत्नि **प्रदर्श–ए–2,** नामा0 248 विक्रय बहक सूरजा पुत्र गोपाल **प्रदर्श–ए–3,** नकल नक्शा ट्रेस **प्रदर्श–ए–4,** पर्चा खतौनी बंदोबस्त **प्रदर्श–ए–5,** नकल जमाबंदी ग्राम तलियारा खाता संख्या 127, 97, 98, 84 संवत् 2065–2068 **प्रदर्श–ए–6,** नकल जमाबंदी ग्रम तलियारा संवत् 2065–2068 **प्रदर्श–ए–7,** नकल जमाबंदी ग्रम तलियारा संवत् 2065–2068 **प्रदर्श–ए–8,** नकल जमाबंदी ग्रम तलियारा संवत् 2069–2072 **प्रदर्श–ए–9,** नकल जमाबंदी खाता सख्या 97 ग्रम तलियारा संवत् 2069–2072 **प्रदर्श–ए–10** आदि पेश किए। तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी की तरफ से प्रस्तुत सत्यप्रतिलिपी बयनामा नामा0 दिनांक 31.12.74 **प्रदर्श–ए–1** में दिंनाक 31.12.74 को बहक प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्सा 1/3 के भूतपूर्व खातेदारान श्री उम्मेद सिह, नंद सिह पिता बच्चन सिंह, भरपाई बेवा ज्ञान सिंह, हनुमान सिह सज्जन सिह नाबालिग पुत्र स्व0 बच्चन सिंह संरक्षक सुप्यार बाई बेवा बच्चन सिंह कौम राजपूत निवासी बागावास अहीरान ने विवादित भूमि के साबिक खसरा नंबरान का विवरण देते हुए उसमे स्वयं का हिस्सा 1/3 तथा हिस्सा 1/3 फूलसिंह पिता वादी का तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के पिता व 7 के पति मोहन सिह व प्रतिवादी सख्या 8 बहादुर सिंह पिता उमराव सिंह के नाम दर्ज खातेदारी व कब्जा काश्त के बताकर प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे पंजीबद्व कराने का कथन है। एवं सत्यप्रतिलिपी बयनामा नामा0दिनांक 13.06.80 **प्रदर्श–डी–1 में** विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 13.06.80 को 15000/– रूपये में बहक भोला पुत्र हरदेव कौम मीणा निवासी बडनगर तहसील कोटपूतली विवादित भूमि के खाता संख्या 65 के खसरा नंबरान में हिस्सा 1/2 भूमि का खातेदारा काश्तकार दर्ज है के नाम वादी गोरधन सिंह ने तथा प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के पिता व 7 के पति मोहन सिह ने विवादित भूमि के साबिक खसरा नंबरान कुल किता 6 कुल रकबा 38 बीघा 15 बिस्वा रकबा शामलाती रही है का कथन किया तथा इन नंबरान में से हम को सब भाईयों की रजामंदी से बंटवारा होकर खेत खसरा नबर 1406 रकबा 3 बीघा व खसरा नबर 1408 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा की भूमि का खेत तो अलग मिला है बाकी अन्य खसरा नंबरा मे हमारी शामलाती रखी गई है। तथा विक्रय पत्र दिंनाक 31.12.74 में भी जिस भूमि शामलाती को भाईयों ने आपस में रजामंदी से बांट लेना का कथन किया है। जिसमें साबिक खसरा नंबर 1384, 1385, 1386 किता 3 कुल रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा का हिस्सा 1/2 आने 9 बीघा 6 बिस्वा पर उम्मेद सिंह वगैरह ने काबिज काश्त वादी व मोहन सिंह की तरह बताकर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

13000/– रूपये में प्रतिवादी संख्या 1 को कब्जा आराजी स्वयं के प्राप्त हिस्से अनुसार बताकर तथा हिस्सा 1/3 की शेष भूमि 3 बीघा 9 बिस्वा भैरू पुत्र नाथू कौम यादव निवासी बागावास अहीरान को इस विक्रय दिनांक से पूर्व विक्रय किया जाना बताकर कुल भूमि 12 बीघा 15 बिस्वा हिस्सा 1/3 आराजी स्वंय कब्जा काश्त खातेदारी में से कब्जा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता भैरू पुत्र नाथू को 3 बीघा 9 बिस्वा का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को कब्जा 9 बीघा 6 बिस्वा का जाना साबित होता है। उक्त तथ्यों से से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा विवादित भूमि खरीद जाना साबित होता है। एवं बंटवारा की भी पुष्टि होती है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहने से तनकी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है। तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था, प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से पेश दस्तावेज में हाल सैटलमेंट की कार्यवाही में भू–प्रबंध कर्मचारियों, अधिकारियों ने साबिक इन्द्राज के विपरीत जो इन्द्राज वादी पत्र की खण्ड संख्या 5 में वर्णित प्रकार की भूमि में से हाल खसरा नंबर 2011, 2012, 2013, 2014, 2013/2217 कुल किता 5 रकबा 2.10 हैक्टेयर ग्राम तलियारा खाता संख्या 96 के रूप में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी अनुसार वाद पत्र की खण्ड संख्या 2 के विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। उक्त परिवर्तन स्वयं वादी ने अपनी सहमति से लिखित दरखावस्त के जरिए प्रतिवादी संख्या 1 के विक्रेता उम्मेद सिंह के साथ दौराने सैटलमेंट खसरा प्रमांकन का उन्हें नोटिस दिनांक 22.11.81 को स्थान बागावास अहीरान के पर्चा खातेदानी के लगने वाले भू–प्रबंध कैम्प में जो कि राजस्व न्यायालय के रूप में आए अधिकारियों की मौजूदगी में कराया था। दिनांक 29.11.81 को मजमा आम में वादी ने अन्य सह खातेदारों के साथ उपस्थित होकर ग्राम बागावास अहीरान में दो विक्रय पत्रों के द्वारा साबिक भूमि का बाद बंटवारा करना तथा पुराने नंबरों के आधार पर उनके कब्जा आराजी एंव हिस्सा मुताबिक कब्जा उनके नाम नये रिकॉर्ड में परिवर्तन करने को दरखावस्त दी थी। एवं विक्रय पत्रों का निरीक्षण कर मौका कब्जा की संक्षिप्त जांच परख व नपत करने के बाद भू–मापक व भू–निरीक्षक से रिपोर्ट लेकर नये पुराने रिकॉर्ड की तुलना करने के बाद पर्चा खातौनी संवत् 2036 संख्या 264, 265, 266 में दिनांक 29.11.81 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से पृथक खातेदारी हाल राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त सक्षम अधिकारी के आदेश से अमल दरामद हुआ था। तथा वादी के व अन्य सह खातेदारों की जानकारी में तत्समय ही प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सामूहिक परचा खातौनी उसका नाम व रकबा अलग पुराने नंबरान के आधार पर नये नंबरों को छांटकर तमाम लिखापढ़ी पर्चा खातौनी में कर तस्दीक कर हस्ताक्षर मोहन सहायक भू–प्रबंध अधिकारी एंव सहायक भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा संशोधित पर्चा प्रमांकन कर खसरा परिशोधन कर नया पर्चा खातोनी बनाकर दिलाया गया था, जो साबिक के मुकाबले था, पूर्व कब्जे काश्त एवं साबिक खसरा नंबरान एंव उसके रकबे के आधार व बंटवारे के आधार पर पृथक से खातेदारी स्वंय वादी एवं उम्मेद सिंह वगै0 ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कराई थी। जिस आदेश पर्चा खातौनी पर दिए गए

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

दिनांक 29.11.81 बहक प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसके नाम जारी खसरा परिशोधन पत्र खसरा प्रमाणाकंन दिनांक 29.11.81 को तत्समय अन्दर मियाद 1 माह की अवधि में वादी व अन्य किसी सह खातेदार ने बावजूद सम्पूर्ण परिवर्तन की जानकारी होने के बाद भी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 ने किसी सक्षम राजस्व न्यायालय के समक्ष अपील पेश नहीं की। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के हित में उक्त पर्चा प्रमाणकंन दिनांक 29.11.81 का आदेश अंतिम हो गया है, उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 4, प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णीत की जाती है। तनकी संख्या 5 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर हैं। प्रकरण में जो विवादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही, वह भूमि प्रतिवादी संख्या 10 व 11 ने अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दिया था तथा वादी ने भी अपने हक में आई भूमि पर लोन ले रखा है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 10 व 11 द्वारा जिन लोगों को जमीन बेची गई थी, उनको एवं वादी द्वारा जिस बैंक से लोन ले रखा है, उनको वादी द्वारा मुकदमें में पक्षकार मुकदमा बनाया जाना आवश्यक था, जो कि इस मुकदमें में नहीं बनाया गया है, जिससे दावा चलने योग्य नहीं है। अतः तनकी संख्या 5, प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित की जाती है। तनकी संख्या 6 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर रहा है। नकल जमाबंदी ग्राम तलियारा खाता संख्या 127 संवत् 2065–2068 **प्रदर्श–ए–6** के अनुसार खसरा नंबर 2011, 2012, 2013, 2013/2217, 2014 पर सुरजा पुत्र गोपाल हिस्सा 2/3 एवं गोवर्धन सिंह पुत्र फूल सिंह के नाम हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड में जरिए नामा0 गोवर्धन सिंह पुत्र फूलसिंह के नाम दर्ज हिस्सा 1/3 के बजाय हिस्सा 1/3, सुरजा पुत्र गोपाल के नाम स्वीकार हुआ है। जिससे यह साबित होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपने काउन्टर क्लेम में चाहे गए खातेदारी अधिकार, प्रतिवादी संख्या 1 को पूर्व में मिल चुके है। तथा राजस्व मण्डल की वृहद् पीठ द्वारा किए गए निर्णय में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार दिए जाने का कोई प्रावधान राजस्थान कातश्कारी अधिनियम में नहीं है। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। जिससे तनकी संख्या 6 प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

12. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

13. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता वादी की तरफ से नेक दृष्टांत RBJ (17) 2010 pages 285, RBJ (6) 1999 pages 481, RRD 1997 pages 13, RRT 2008 (1) pages 151, RBJ (16) 2009 pages 578, RBJ (4) 1997 pages 315, RRT 2020 (1) pages 37, RRD 2011(full banch) आदि पेश किए एवं अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से नेक दृष्टांत RRT 2007 H.C. pages 1008, RRD 1997 pages 175, RRD 1997 pages 13, RRD 2002 pages 153, RRD 2002 pages 282, RRD 2002 pages 540, RRD 1999 pages 514, RRD 2002 pages 689, RRD 2002 pages 352, RRD 1999 pages 369, RRD 1999 pages

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

532, RRD 1999 pages 143, RRD 1999 pages 85, RRD 1997 pages 28 आदि पेश किए गए, प्रस्तुत नेक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, जिससे तनकी संख्या 1 व 2, वादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने के कारण तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्ध निर्णीत की जाती है। एवं तनकी संख्या 3, 4, 5 को प्रतिवादी संख्या 1 अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहने के कारण तनकी संख्या 3, 4, 5 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में एवं तनकी संख्या 6 को प्रतिवादी संख्या 1 अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने से तनकी संख्या 6, प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध निर्णीत की जाती है।

14. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी की तरफ से प्रस्तुत दावा एवं प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

वादी का वाद पत्र दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 25.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)